न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

223RTA2023-049(GCMS2023-95)

1. अमराराम पुत्र प्रतापराम
2. मुन्नाराम पुत्र प्रतापराम
3. हरखाराम पुत्र प्रतापराम
4. मालाराम पुत्र प्रतापराम
5. मीरादेवी पत्नी प्रतापराम

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम दुदाबेरा
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. आसुदेवी पत्नी भींयाराम
2. चुकी पुत्री भींयाराम
3. प्रेमी पुत्री भींयाराम
4. पीराराम पुत्र भींयाराम
5. लीला पुत्री भींयाराम
6. चन्दुदेवी पत्नी धर्माराम
7. फुसाराम पुत्र धर्माराम
8. कुमारी रेखा पुत्री धर्माराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चन्दुदेवी)
9. विकास पुत्र धर्माराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चन्दुदेवी)

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम दुदाबेरा
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

10. तेजाराम पुत्र जोगाराम
11. जसाराम पुत्र जोगाराम
12. आशा पुत्री जोगाराम
13. हापू पत्नी जोगाराम
14. रेवन्तराम पुत्र भींयाराम

जातियान जाट, निवासीगण दुदाबेरा
तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

15. राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार

रेस्पो. ...

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 13 दिसम्बर 2022 राजस्व वाद संख्या 99/2022 (जीसीएमएस # 2022/108) अनवान आसुदेवी बनाम प्रतापराम के का.मु.

---

(2) 223RTA2023-044(GCMS2023-96)

1. अमराराम पुत्र प्रतापराम
2. मुन्नाराम पुत्र प्रतापराम
3. हरखाराम पुत्र प्रतापराम
4. मालाराम पुत्र प्रतापराम
5. मीरादेवी पत्नी प्रतापराम

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम दुदाबेरा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

अपीलाण्ड्स ...

ब

ना

म

1. आसुदेवी पत्नी भींयाराम
2. चुकी पुत्री भींयाराम
3. प्रेमी पुत्री भींयाराम
4. पीराराम पुत्र भींयाराम
5. लीला पुत्री भींयाराम
6. चन्दुदेवी पत्नी धर्माराम
7. फुसाराम पुत्र धर्माराम
8. कुमारी रेखा पुत्री धर्माराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चन्दुदेवी)
9. विकास पुत्र धर्माराम (नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता चन्दुदेवी)

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम दुदाबेरा तहसील बालेसर, जिला जोधपुर

10. तेजाराम पुत्र जोगाराम
11. जसाराम पुत्र जोगाराम
12. आशा पुत्री जोगाराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

13. हापू पत्नी जोगाराम
14. रेवन्तराम पुत्र भींयाराम
    जातियान जाट, निवासीगण दुदाबेरा
    तहसील बालेसर, जिला जोधपुर
15. राजस्थान सरकार
    जरिये तहसीलदार

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं फाइनल डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बालेसर दिनांक 16 जनवरी 2023 राजस्व वाद संख्या 99/2022 (जीसीएमएस # 2022/108) अनवान आसुदेवी बनाम प्रतापराम के का.मु.

उपस्थित-
श्री कानाराम गोदारा, अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 से 9 व 14
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 15

नि र्ण य

दिनांक : 22 नवम्बर 2024

अपीलाण्ड्स ने यह दोनों अपीलें न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 99/2022 अनवान आसुदेवी बनाम प्रतापराम आदि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 13 दिसम्बर 2022 और निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 17 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की है। साथ ही प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 1 से 9 द्वारा ग्राम खेतासर स्थित आराजी खसरा संख्या 337 रकबा 3.1889 हैक्टेयर बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13 दिसम्बर 2022 को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद दिनांक 16 जनवरी 2023 को निर्णय एवं फाइनल डिक्री जारी की गयी। इससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी है। दोनों अपीलों की विषय-वस्तु एवं मूल वाद एक ही होने से उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण इस एक ही निर्णय द्वारा किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील सीपीसी के प्रावधानानुसार नहीं करायी गयी, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के सम्मन रजिस्टर्ड एडी पोस्टल डाक से भिजवाये जाने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया, मात्र दिनांक 27 जुलाई 2022 को वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन जारी किये जाने के आदेश दिये गये। किन्तु आगामी पेशी पर आदेशिका में रजिस्टर्ड एडी की रसीदे पेश होना अंकित किया गया और दिनांक 06 सितम्बर 2022 को प्रतिवादी-अपीलाण्ट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया। इसी प्रकार आदेशिका दिनांक 20 सितम्बर 2022 के अनुसार विचारण न्यायालय में वादी-पक्ष की ओर से प्रतिवादी संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

1 प्रतापराम के फौत हो जाने की सूचना देते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया गया, जिसके संबंध में नोटिस जारी किये जाने का कोई आदेश विचारण न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया गया और पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 17 अक्तूबर 2022 हेतु मुकर्रर की गयी। दिनांक 17 अक्तूबर 2022 की आदेशिका में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को भेजे गये नोटिस की रसीदे पेश किया जाना अंकित करते हुए प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही में निर्धारित विधिक प्रकिया को नजरअंदाज किया गया है। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी भी विधिवत पारित नहीं किये गये है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में संयुक्त खातेदारी की भूमि का सहखातेदारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने के प्रावधान है, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13 दिसम्बर 2022 में वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य हक-हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी है, जो विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 बाबत अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, उसमें वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स की बजाय मौके पर पक्षकारान के कब्जे अनुसार विभाजन प्रस्तावित किया गया और विचारण न्यायालय द्वारा हूबहू विभाजन प्रस्ताव के अनुसार विभाजन बाबत फाइनल डिकी जारी कर दी गयी। इस प्रकार आलौच्य प्रकरण में निर्धारित विधिक प्रकिया, राजस्थान काश्तकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये गये, जो अपास्त किये जाने योग्य है।

मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील सीपीसी के प्रावधानानुसार कराये बिना ही इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। विभाजन प्रस्ताव भी अपीलाण्ट्स को सूचित किये बिना ही तैयार किये जाकर विचारण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये गये। इन कारणों से विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही एवं पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। दिनांक 14 फरवरी 2023 को रेस्पो. द्वारा मौके पर अपीलाण्ट्स को बंटवारा के आधार पर बेदखल करने की एलानिया धमकी दी, तब विचारण न्यायालय को प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री बाबत विचारण न्यायालय से नकलें प्राप्त करने पर दिनांक 14 फरवरी 2023 को सर्वप्रथम जानकारी हुई और जानकारी की दिनांक से निर्धारित समय सीमा के भीतर अदालत हाजा में अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपीलें प्रस्तुत की गयी।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपीलें अन्दर मियादशुमार किये जाने एवं गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील होने के उपरान्त भी अपीलाण्ट्स विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर उनके

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, जो विधिसम्मतः है। वादग्रस्त भूमि बाबत राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारान के दर्ज हिस्से अनुसार ही विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्रदान किया गया है, राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारान के दर्ज हिस्सों बाबत कोई परिवर्तन अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये नहीं किया गया। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत होने पर मौके की वास्तविक स्थिति एवं कब्जे के अनुसार फाइनल डिक्री जारी की गयी है। अपीलाण्ट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष अपील दिनांक 17 फरवरी 2023 को प्रस्तुत की गयी है, जो निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के बाद विलम्ब से पेश की गयी है। अतः प्रस्तुत आलौच्य अपीलें तदनुसार खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया और उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की तामील रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाये गये सम्मनों की प्रस्तुत रसीदात के आधार पर समुचित मानते हुए दिनांक 6 सितम्बर 2022 को अपीलाण्ट्स के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने का आदेश पारित किया गया है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलाण्ट्स की तलब रजिस्टर्ड एडी पोस्ट से कराये जाने बाबत विचारण न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया और न ही रजिस्टर्ड एडी सम्मन बाबत पोस्टल विभाग की कोई ट्रेकिंग रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स पर सम्मनों की सीपीसी के प्रावधानानुसार समुचित एवं सम्यक तामील होना नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार विचारण न्यायालय में दिनांक 22 सितम्बर 2022 की आदेशिका अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 प्रतापराम के कायममुकामान की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी के संबंध में संबंधित को नोटिस जारी किये जाने का कोई आदेश विचारण न्यायालय द्वारा जारी किया जाना प्रकट नहीं होता है, फिर भी आदेशिका दिनांक 17 अक्तूबर 2022 में प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को भेजे गये नोटिस की रसीदे पेश किया जाना अंकित किया जाकर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया जाना पाया जाता है। जाहिर है कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की कार्यवाही में निर्धारित विधिक प्रकिया को नजरअंदाज किया गया है। जिससे विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही और पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को समुचित समय में कोई जानकारी नहीं हो पाना स्वभाविक है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 13 दिसम्बर 2022 के खिलाफ अदालत हाजा में अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर मियादशुमार की जाती है।

अदालत हाजा अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के इस कथन से सहमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 में संयुक्त खातेदारी की भूमि का सहखातेदारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किये जाने के प्रावधान है। मगर आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया और अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13 दिसम्बर 2022 में वादग्रस्त भूमि का पक्षकारान के मध्य हक-हिस्से एवं कब्जे अनुसार विभाजन करते हुए प्राथमिक डिकी जारी की गयी है और इसी अनुरूप प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करते हुए फाइनल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 जारी कर दी गयी। इस प्रकार आलौच्य प्रकरण में निर्धारित विधिक प्रकिया, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये, जो समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में यह दोनों अपीलें आंशिक तौर पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिकी 13 दिसम्बर 2022 एवं निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 16 जनवरी 2023 अपास्त करते हुए प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और निर्धारित प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त भूमि बाबत पक्षकारान के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के प्रावधानों एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 19 की पालना सुनिश्चित करते हुए मूल वाद का न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

जोधपुर